बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 331411 दिनांक :- 05/10/2017

ग्रा0वि0-3/स्था0-16-07/17

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
पटना ।

विषयः- ग्रामीण विकास विभाग के पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा वापस करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 210184 दिनांक 25.11.2014 एवं विभागीय पत्रांक 211796 दिनांक 09.12.2014 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग के कुल- 200 पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा सहायक गोदाम प्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सौंपी गयी थी । इनमें से ग्रामीण विकास विभाग के कुल- 59 पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारी थे । कालान्तर में 59 पदाधिकारियों में से 54 पदाधिकारियों की सेवा इस विभाग को वापस कर दी गयी । सम्प्रति शेष 05 पदाधिकारियों की सेवा अबतक इस विभाग को वापस नहीं की गयी है ।

उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5068/17 अमरनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित न्याय निर्देश के अनुपालन में दिनांक 25.09.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अन्य बिन्दुओं सहित निम्नांकित निर्णय लिया गया है (सुलभ प्रसंग हेतु बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है):-

"ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना) अपने अपने विभागों में कार्यरत दूसरे विभाग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा उनके पैतृक विभाग में वापस करना सुनिश्चित करेंगे । विशेष परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में दूसरे विभाग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा इन विभागों में दी गयी थी । अब वह परिस्थिति नहीं रह गयी हैं"

अतः अनुरोध है कि ग्रामीण विकास विभाग के निम्नांकित 05 पर्यवेक्षेकीय पदाधिकारियों की सेवा इस विभाग को अविलंब विरमित करते हुए वापस करने की कृपा की जाय:-

क्र.सं.	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला
1	2	3	4
1	RDD/001263	श्री अजय कुमार	अन्य राज्य
2	RDD/002027	श्री सुशील कुमार दास	दरभंगा

क्र.सं.	RDD-ID NO.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला
1	2	3	4
3	RDD/001745	श्री अरविन्द कुमार मुन्ना	पटना
4	RDD/000853	श्री हिमांशु भुषण ठाकुर	मधुबनी
5	RDD/001041	श्री अनिल कुमार	पटना

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3314 **दिनांक:-** 05/10/2017

प्रतिलिपि:- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-5068/17 अमरनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.08.17 को पारित न्याय निर्देश के अनुपालन में दिनांक 25.09.17 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :- परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-5068/17 अमरनाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.08.17 को पारित न्याय निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई ।'इसमें निम्न निर्णय लिये गये :-

(i) ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना) अपने अपने विभागों में कार्यरत दूसरे विभाग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा उनके पैतृक विभाग में वापस करना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में दूसरे विभाग के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की सेवा इन विभागों में दी गयी थी । अब वह परिस्थिति नहीं रह गयी है ।

(ii) माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सभी विभाग अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों का सेवा विनियमन नियमानुसार करते हुए वेतन का भुगतान तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेगें ।

(iii) सेवा विनियमन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगें ।

(iv) वित्त विभाग प्राथमिकता के आधार पर ऐसे प्राप्त मामलों का निष्पादन संचिका प्राप्त होने पर अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करेगा ।

(v) पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के सेवा विनियमन हेतु सभी सचिव / प्रधान सचिव अपने विभाग में एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे तथा इसकी सूचना मोबाईल नम्बर सहित ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित करेगें ।

(vi) सभी संबंधित विभाग प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को संलग्न प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे । ग्रामीण विकास विभाग उसे समेकित कर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगा ।

26/9/17

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:- _____ दिनांक:- _____

ग्रा.वि.-3/स्था.-16-07/17

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, कृषि विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग / सचिव, पंचायती राज विभाग/ सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता

Procceding 25.09.17 (CS)-new

संरक्षण विभाग / सचिव, अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/9/2017

सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 330555 दिनांक:- 26/09/2017

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

26/9/2017

सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना